भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 101
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

कुलाधिपति के पद से राज्यपालों को हटाया जाना

†101. प्रो. सौगत राय:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों के पद से राज्यपालों को हटाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुभाष सरकार)

(क) से (घ): राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपालों को कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालाँकि, हाल ही में, कुछ राज्यों में अधिनियम में विधायी परिवर्तन करके अन्य संवैधानिक अधिकारी को कुलाधिपति नियुक्त किया गया है।

केंद्रीय वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शासी बोर्ड के कुलाधिपति/अध्यक्ष, उप-कुलाधिपति/निदेशकों की नियुक्ति, और संकाय आदि की नियुक्ति के लिए चयन समिति में नामिति के नामांकन जैसे विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए भारत के राष्ट्रपति विज़िटर हैं। संस्थानों की स्वायत्तता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बरकरार रखा जाता है क्योंकि संस्थानों के मामले विजिटर के पास रहते हैं।

****